बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक– प्र0/BSPGCL–01/2018(खंड–I) पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के आलोक में बरौनी ताप शक्ति प्रतिष्ठान के विस्तार परियोजना (2x250MW) में कोयला आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को आवंटित बादम कोल ब्लॉक, हजारीबाग, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध मे।**

आदेश–स्वीकृत।

दिनांक 09.08.2018 को नई दिल्ली में आयोजित भारत सरकार की स्थायी लिंकेज समिति–दीर्घकालिक (SLC-LT) की बैठक में SHAKTI योजना के तहत बरौनी स्टेज–II (2x250 मेगावाट) हेतु कोयला आवंटन एवं अन्य मामलों पर लिए गए निर्णय के आलोक में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.09.2018 द्वारा संसूचित किया गया है कि BTPS स्टेज–II (2x250 मेगावाट) हेतु ब्रिज लिंकेज की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि NTPC द्वारा बादम कोल ब्लॉक को विकसित किया जाएगा। जहाँ तक SHAKTI योजना के तहत कोयला आवंटन का प्रश्न है, इसे मंजूर नहीं किया गया।

2. तत्पश्चात् NTPC ने कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के आलोक में बादम कोल ब्लॉक के विकासन पर सहमति संसूचित की है।

2.1 बादम कोल ब्लॉक आवंटन समझौते की कंडिका 13 में Change in Control of the allottee के संदर्भ में सुसंगत प्रावधान निम्नवत हैः–

13.1.1 Change in control of the Allottee or any transfer of the Specified End use Plant along with the rights in relation to the Coal Mine, shall be permissible with prior intimation to the Nominated Authority and the Central Government.

प्रस्तावित मामले में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक–05.09.2018 द्वारा संसूचित निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जानी है।

2.2 बादम कोल ब्लॉक परियोजना पर BSPGCL द्वारा 100.63 करोड़ रूपये अद्यतन व्यय किया गया है। (70.74 करोड़ रूपये की बैंक गारण्टी, 1.71 करोड़ रूपये भूगर्भीय प्रतिवेदन शुल्क, 13.14 करोड़ क्षतिपूरक वन रोपण शुल्क, 13.38 करोड़ upfront किश्त, 1.23 करोड़ पुनरीक्षित क्षतिपूरक वन रोपण शुल्क, 1.00 लाख रूपया लीज हस्तान्तरण शुल्क, तथा कोल ब्लॉक को विकसित करने में अन्य विविध व्यय)।

2.3 बादम कोल ब्लॉक आवंटन एकरारनामा के कंडिका 19 में यह प्रावधान है कि Nominated Authority की सहमति के बिना यह एकरारनामा किसी अन्य को नहीं सौंपा जाएगा तथा यदि एकरारनामा का हस्तांतरण करने का निर्णय होता है तो वैसी स्थिति में निम्नांकित प्रावधान लागू होंगेः–

19.2 (a) The proposed assignee must meet the applicable Eligibility Conditions;

(b) The proposed assignee must agree to unconditionally and irrevocably adhere to the provisions of this agreement and must enter into a deed of adherence in the manner as prescribed by the Nominated Authority;

(c) The proposed assignee must have furnished the Performance Security, to substitute any subsisting Performance Security provided by the Allottee;

(d) The proposed assignee must have paid any other amount due from the Allottee and agree to indemnify and hold the Nominated Authority harmless in all respects against any claims from any Third Party or the Allottee with respect to such assignment.

2.4 उपरोक्त के आलोक में बादम कोल ब्लॉक NTPC को हस्तांतरित करने में कोई कठिनाई नहीं दिखती है साथ ही यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो BSPGCL द्वारा खर्च किये गये राशि में से 100.20 करोड़ रूपये की राशि NTPC द्वारा कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष जमा की जाएगी जो BSPGCL को वापसी योग्य है। शेष राशि 0.43 करोड़ रूपये का व्यय कोल ब्लॉक को विकसित करने की प्रक्रिया में (परामर्शियों एवं अन्य मद में व्यय) किया गया है।

अतः इस व्यवस्था के तहत् बिहार राज्य का वित्तीय हित सुरक्षित रहेगा तथा इस क्रम में बादम कोल ब्लॉक NTPC को हस्तांतरित करने से वितरण कम्पनियों पर किसी प्रकार का अनावश्यक वित्तीय भार पड़ने की आशंका नहीं है।

3. वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 05 दिनांक 26.07.2018 को अधिसूचित अंतरण योजना, 2018 की कंडिका VIII (घ) एवं IX (ख) तथा अनुसूची 'क' में संशोधन किया जाना है।

अतएव कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के आलोक में बरौनी ताप शक्ति प्रतिष्ठान के विस्तार परियोजना (2x250MW) में कोयला आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को आवंटित बादम कोल ब्लॉक, हजारीबाग, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या–प्र0/BSPGCL–01/2018(खंड–I) के पृष्ठ संख्या–66/टि0 पर दिनांक–13.12.2018 को प्राप्त है।

6. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPGCL–01/2018(खंड–I) के पृष्ठ संख्या–69/टि0 पर दिनांक–14.12.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPGCL–01 / 2018(खंड–I) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPGCL–01 / 2018(खंड–I) 3120 /पटना, दिनांक– 14/12/2018

प्रतिलिपिः–उप सचिव, प्रेस (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में मुद्रंण हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।